बिहार ।-धान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि 27 जून, 1990 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोंत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में बुधवार तिथि 27 जून, 1990 ई० को पूर्वाहन 11.00 बजे सभापति, **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

चन्द्रशेखर शर्मा,
सचिव,
बिहार विधान-सभा

पटना
तिथि 27 जुलाई, 1990 ई०

तारांकित प्रश्न संख्या-111 के संबंध में चर्चा

श्री जगदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में माननीय सदस्या से थोड़ी गलती हो गयी है । जो जवाब तैयार है, उससे उनका हल नहीं होगा । इसलिए इसमें हम समय मांग रहे हैं । समय इसलिए मांग रहे हैं कि इसमें माननीय सदस्या ने उद्‌वह सिंचाई के बदले इन्होंने नलकूप की बात कर दी है। इसलिए हम अगली तिथि को इसका जवाब देंगे ।

श्रीमती शांति देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ? इस प्रश्न का जवाब कब होगा ?

अध्यक्ष : इस प्रश्न में कुछ तकनीकी गलती हो गयी है, इसलिए मंत्री जी अगली तिथि को इसका जवाब देंगे ?

प्रोन्नति नहीं देने का औचित्य

112. **श्री प्रेमनाथ जायसवाल** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक-58-96, दिनांक 28 सितम्बर, 1985 के आलोक में उप-समाहर्त्ता, नहर राजस्व प्रमंडल, भागलपुर के ज्ञापांक-8, दिनांक 2 जनवरी, 1986 द्वारा वरीयता सूची के 29, 35, 37 एवं 58 क्रमशः श्री सुखदेव दास, सिकन्दर रजक, सच्चिदानन्द पासवान एवं त्रिभुवन रविदास मोहरिर के कनीय प्रवर कोटि की प्रोन्नति कालावधि पूरा नहीं होने के कारण रोक दी गई तथा 7 आरक्षित पदों को रिक्त रखा गया था;